International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 05-10-2021, Accepted: 20-10-2021, Published: 05-11-2021
Volume 7; Issue 6; 2021; Page No. 8-9

भारत के सुशासन की ओर बढ़ते कदमः उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ

पंकज कुमार[1], कविता पाण्डेय[2]

[1] प्रोफ़ेसर, शोध मार्गदर्शक, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

[2] शोध छात्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

सुशासन का तात्पर्य समावेशी विकास से है जिसका सामान्य अर्थ है ऐसा शासन जो गुणवत्तापूर्ण हो, उत्तरदायित्व कुशल तथा पारदर्शी प्रशासन हो अधिक दक्ष हो ताकि उसकी आन्तरिक और बाह्य साख में वृद्धि हो शासन निर्णय लेने वह प्रक्रिया है जिसमें नीति–निर्णय और नीति–निर्माण शामिल है। शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जाता है जैसे– कॉरपोरेट प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन। इस शोध पत्र का उद्देश्य शासन के इन सभी विविध आयामों की समीक्षा एवं एक अवधारणा के रूप में सुशासन पर चर्चा करना है।

मूलशब्दः शासन, सुशासन, नागरिक केन्द्रित प्रशासन

प्रस्तावना

आज लगभग सभी प्रमुख विकास संस्थान कहते हैं कि सुशासन को बढ़ावा देना उनके एजेण्डे का प्रमुख हिस्सा है। ऐसी आम सहमति के बावजूद, सुशासन एक यूटोपियन अवधारणा है। व्यावहारिक रूप से इसका क्रियान्वयन आसान नहीं है इसमें कई स्तर पर विविध संकल्पनाएं हैं। इसके बावजूद शासन का सर्वोत्तम रूप 'सुशासन' ही है जिसमें लोककल्याणकारी राज्य का समावेशन देश, समाज को आगे की ओर ले जाता है।

सुशासन क्या है?

1992 में 'शासन और विकास' नामक अपनी रिपोर्ट में विश्व बैंक ने सुशासन की परिभाषा निर्धारित की। विश्व बैंक ने सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबन्धन में शक्ति के प्रयोग के तरीके के रूप में परिभाषित किया। सुशासन की आठ प्रमुख विशेषताएँ हैं। यह भागीदारी, आम सहमति, जवाबदेही, पारदर्शी, उत्तरदायी, प्रभावी एवं कुशल, न्यायसंगत एवं समावेशी होने के साथ–साथ 'कानून के शासन' का अनुसरण करता है। यह विश्वास दिलाता है कि भ्रष्टाचार को कम से कम किया जा सकता है। इसमें अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाता है और निर्णय लेने में सबसे कमजोर वंचित तबकों की आवाज सुनी जाती है। यह वर्तमान एवं भविष्य की चुनौतियों को साथ लेकर समाधान का प्रयास करता है।

भारत में सुशासन का विकास

भारत में सुशासन को समझने के लिए इसे दो भागों में बाँटकर देखा जाना चाहिए। पहला–उदारीकरण (1991) की नीति के पहले और दूसरा–उदारीकरण के पश्चात।

1991 से पहले भारत ने नियंत्रित अर्थव्यवस्था और बन्द बाजार की नीति अपनायी थी जिसमें जनता पूरे तरीके से अपने विकास के लिए सरकार पर निर्भर थी। सरकार पर अकेले ही एक बड़ी जनसंख्या का दायित्व था। इसी दौरान, सम्पूर्ण विश्व में उदारीकृत देशों में खुले बाज़ार की उपलब्धियाँ सामने आयी विकसित देश और विकसित हो गए कई क्षेत्रीय संगठन जैसे आसियान सबसे सफल संगठन बन गए। ऐसी परिस्थितियों में भारत ने भी समय के साथ चलने का निर्णय लिया। 1970 के दशक के बाद से ही उदारीकरण, निजीकरण प्रारम्भ होने लगा था और भारत में 1991 में उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की नीति अपनायी तथा विश्व बैंक की संरचनात्मक–कार्यात्मक योजना को स्वीकार किया जिसके अंतर्गत भारत का बाजार पूरे विश्व के लिए खुल गया। आज भारत 30 वर्ष के भीतर विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थान रखता है तथा नागरिकों की आकांक्षाएं पूरा करने में सक्षम है। सुशासन की संकल्पना आने से शासन के तीनों अभिकर्ता बाजार, सरकार तथा नागरिक समाज मजबूत हुए हैं।

भारत में शासन को पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने हेतु उठाए गए कदम

1. **सूचना का अधिकारः** यह अधिनियम 2005 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत जनता सार्वजनिक हित से जुड़ें हुए मामलों तथा किसी भी नीति तथा कार्यक्रम से संबंधित प्रक्रियाओं एवं परिणामों के बारें में सवाल पूछ सकती है। यह अधिनियम निचले तबकों के लिए वरदान साबित हुआ है यह उन्हें अपनी मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त करने में मदद करता है।
2. **नागरिक चार्टरः** यह एक ऐसा दस्तावेज होता है, जो किसी संगठन या संस्था की जनता के प्रति निष्ठा या जवाबदेही को बरकरार रखने या विकास हेतु संस्थागत प्रयासों को प्रोत्साहित करता है तथा इसे पारदर्शी बनाता है। इसकी पृष्ठभूमि में 1996 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन हुआ जिसमें केन्द्र एवं राज्य स्तर पर प्रभावी और अनुक्रियाशील सरकार के लिए एक एक्शन प्लान स्वीकृत किया तथा यह निर्णय लिया गया कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें नागरिक चार्टर भी बनाएगी।
3. **सामाजिक अंकेक्षणः** किसी परियोजना अथवा कार्यों से सम्बन्धित सभी लोगों की जाँच करना तथा साथ ही साथ कार्य की गुणवत्ता विशेष उपलब्धियों, उससे लाभान्वित पक्षों और कार्यस्थल का परीक्षण करना। यह भ्रष्टाचार की समस्या का समाधान करने में सहायक साबित हुआ है।

सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया लोगों में सामूहिक निर्णय क्षमता तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास करती है तथा नागरिक समाज सशक्त होता है।

4. **ई–गवर्नेंसः** ई–गवर्नेंस एक व्यापक अवधारणा है जो पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, नागरिक सशक्तिकरण तथा लोकनीति हेतु हितकारी है। इसका उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सेवाएं देना है। एकल खिड़की यानी कम्प्यूटर के माध्यम से नागरिकों को अधिकतम सुविधायें मिल जाती है जिससे समय, ऊर्जा तथा धन की बचत होती है। भारत सरकार ने खुद इसके लिए भरोसेमंद नेटवर्क, सुरक्षित डेटा सेंटर, प्रबंधित सूचना संग्रहण, सेवाओं का एकीकरण, सर्विस डिलीवरी गेटवे आदि प्रबन्धन किया है। इस दिशा में सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम चलाया है।
5. भारत में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सुशासन सूचकांक इत्यादि नवीन कार्य प्रारम्भ हुए हैं। यह सुशासन की दिशा में प्रमुख स्थान रखते हैं। साथ ही सरकार द्वारा कानूनी, प्रशासनिक, संस्थानिक तथा पुलिस सुधार के भी प्रयास किए जा रहे हैं।

सुशासन की राह में चुनौतियाँ

1. **केन्द्रीकृत प्रशासनिक प्रणालीः** भारत में मजबूत केन्द्र होने से सभी प्रक्रियाएं अन्तिम रूप से केन्द्र पर निर्भर हो जाती हैं इससे राज्यीय स्तर पर उदासीनता देखी जाती है वे प्रक्रिया निधियों, कम संसाधनों को अपने राह में बाधा बताते हैं।
2. **लैंगिक तथा वर्गीय असमानताः** भारत में सुशासन सुनिश्चित करने के लिए विविध स्तर पर समानता अपनाए जाने की आवश्यकता है। भारत में दो स्तर पर लैगिंक तथा वर्गीय असमानताएँ हैं, जिसमें प्रत्येक वर्ग को अपना प्रतिनिधित्व मिलने का अवसर नहीं मिलता है।
3. **भ्रष्टाचारः** भ्रष्टाचार की समस्या सबसे बड़ी बाधा है। भारत भ्रष्टाचार के स्तर पर विकसित देशों से काफी पीछे हैं। भ्रष्टाचार के कारण शासन की गुणवत्ता प्रभावित होती है। भ्रष्टाचार को दूर किया जाना सबसे आवश्यक है।
4. **भारत की जटिल नौकरशाहीः** भारत में नौकरशाही की जटिलता तथा अकर्मणता सुशासन की राह में रोड़ा बन जाता है। सरकारी ऑफिसों में जल्दी काम नहीं होता जिससे लोगों को समस्याएं होती हैं।

सभी प्रमुख योजनाओं के निर्माण व कार्यान्वयन में एक बड़ा गैप देखा जा सकता है। इससे प्रशासनिक शिथिलता बढ़ती है तथा नागरिकों को नुकसान होता है।

आवश्यक यह है कि शासन में सत्यनिष्ठता, नैतिकता का समावेश हो, प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित हो। सरकारी प्रक्रिया में लोगों का विश्वास बढ़े। लोक सेवक ईमानदार बने तथा भ्रष्टाचार की संभावना कम से कम हो। ऐसे उपायों से ही सुशासन के मूल्य को सर्वोत्तम प्रकार से हासिल किया जा सकता है।

निष्कर्ष

भारतीय प्रशासन में सुशासन की अवधारणा बहुत पुरानी है। कौटिल्य ने प्रजा के हित को सर्वोपरि बताया है। भगवतगीता कर्त्तव्यपराणता तथा आत्मबल को संदर्भित करता है। सतत विकास के लक्ष्य सुशासन के लक्ष्यों को रेखांकित करता है। भारत सरकार के द्वारा किए गए विविध प्रयास उल्लेखनीय है। भारत में समावेशी एवं सतत् विकास को बढ़ा मिल रहा है। नागरिक राज्य द्वारा अच्छी से अच्छी सेवाएं प्राप्त कर रहे हैं। निश्चित रूप से सुशासन के और बढ़ते आयामों के साथ भारत विकास के पथ पर अग्रसर होगा।

संदर्भ सूची

1. एम0, लक्ष्मीकांत (2016), ''भारत की राजव्यवस्था'', टाटा मैक्ग्राहिल प्रकाशन।
2. कटारिया सुरेन्द , ''भारतीय लोक प्रशासन'', नेशनल पब्लिशिंग हाउस, प्रकाशन।
3. Laskar Shahina Humtaz. "Importance of Right to Information for good governance in India", Bharti Law Review, October-December, 2016
4. Roy Arun. "RTI Kaise Aayi", Sarthak Rajkumar Prakashan, New Delhi, 2018.
5. https://www.epw.in/journal/2016/52/special-articles/decentralising
6. https://www.digitalindia.gov.in/content/good-governance